**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 2122**

उत्तर देने की तारीखः 12.05.2016

**स्कूलों में प्रवेश हेतु आरक्षण रोस्टर**

**2122. श्री राम नाथ ठाकुरः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी स्कूलों में आरक्षण रोस्टर से प्रवेश नहीं दिये जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन राज्यों में आरक्षण रोस्टर का पालन प्रवेश देने में किया जाता है, और क्या निजी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**)श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): भारत सरकार देश में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 3 में प्रावधान है कि 6-14 वर्ष के आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक आस-पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) में कमजोर वर्गों और लाभवंचित समूहों के बच्चों को आस-पड़ोस के गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा-I अथवा उससे नीचे की कक्षा में उस कक्षा के बच्चों की कुल संख्या की कम-से-कम 25 प्रतिशत की सीमा तक दाखिला देने का प्रावधान है। यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर तथा लक्षद्वीप में लागू नहीं है। सिक्किम और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए पात्र लाभवंचित समूहों और कमजोर वर्गों को परिभाषित किया है।

जहां तक लाभवंचित समूहों और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का संबंध है, यह उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें संबंधित स्कूल स्थित है, में लागू शिक्षा अधिनियम/नियमों द्वारा अभिशासित होता है।

\*\*\*\*\*